संख्या- 21 / 1025 /चार-2015-9(बजट)12 टीसी

प्रेषक,

राम विशाल मिश्र
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 18 मार्च, 2015

विषय:-उ0प्र0 ललित कला अकादमी ,लखनऊ को 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) आयोजनागत पक्ष में प्राविधान के सापेक्ष द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3258/सं0नि-20 (यू0सी0)/2014, दिनांक 03 मार्च, 2015 के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या-1270/चार-2014-9(बजट)12 टीसी, दिनांक 20 जून,2014 जिसके द्वारा प्रथम चार माह की धनराशि रू0 1.66 लाख तथा सम संख्यक शासनादेश दिनांक 29 सितम्बर, 2014 को धनराशि रू0 84,000/- अर्थात कुल धनराशि रू0 2.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी, के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में उ0प्र0 ललित कला अकादमी ,लखनऊ, के लिए आयोजनागत पक्ष में अनुदान संख्या- 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 5.00 लाख के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि रू0 2.50 लाख (रू0 दो लाख पचास हजार मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते है।

2- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाती है कि स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा और स्वीकृत मदों पर ही व्यय की जायेगी, अन्य मदों अथवा व्यय की नई मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी और स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा किया जायेगा । यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। उक्त आहरित धनराशि को बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी। उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के मितव्यता सम्बन्धी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में दिये गये दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानको (स्टैण्डडर्स आफ फाइनेशियल प्रोप्राइटरी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- आगामी वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वित्तीय वर्ष 2011-12 , 2012-13 व 2013-14 की आडिट रिपोर्ट 31-3-2015 तक शासन को उपलब्ध करायेंगे । इसके अतिरिक्त अकादमी द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 के प्रस्तर -12 तथा अनुदान के सम्बन्ध में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 , भाग-1 के नियमों व इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- संस्थान को आगामी वित्तीय वर्ष 2015-16 की प्रथम किश्त तभी अवमुक्त की जायेगी जब वित्तीय वर्ष 2014-15 में अवमुक्त धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च,2015 तक करके उपलब्ध करा देगे तथा तद सम्बन्धी उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को विगत वर्षो की आडिट रिपोर्ट भी यथासमय उपलब्ध करायेंगे।

6- उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 92- के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205- कला एवं संस्कृति-आयोजनागत- 101- ललित कला शिक्षा-06- उ0प्र0 राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ को अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-7- 222 /दस-2015,दिनांक 17 मार्च,2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राम विशाल मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या- 21 / 1025 (1)/चार-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- सचिव, उ0प्र0 ललित कला अकादमी ,लखनऊ।
6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
7- निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री।
8- बेव अधिकारी, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन लखनऊ ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(मणीन्द्र शर्मा)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in